न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 129/2017

उनवान
नेमीचन्द वगै0 बनाम मनफूल वगै0

1. नेमीचन्द दत्तक पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. पैपादेवी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
3. फुलचन्द पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

–वादीगण

बनाम

1. मनफुल पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/1 पतासी बेवा मनफुल जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/2 शिशपाल पत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/3 मुकेश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/4 सावित्री पुत्री मनफुल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी राणासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/5 विनोद पुत्री मनफुल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
1/6 सिलोचना पुत्री मनफुल पत्नी विनोद जाति जाट निवासी राणासर तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2. झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुन्झुनूं जरिये सचिव।
3. राजस्थान राजय जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं।
4. ताराचन्द पुत्र खंमाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5. सुरजीदेवी पत्नी खंमाराम जाति जाट निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनूं (मृतक)
5/1 सन्तोष पुत्री खमाराम पत्नी रामभगत जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री रणजीत सिंह :– वादीगण की ओर से।
2. श्री संदीप गर्वा :– प्रतिवादी संख्या 5/1 की ओर से।
3. श्री श्रवण सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

दावा घोषणार्थ, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 26.08.2021

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बाकरा तहसील झुन्झुनूं में काश्त की जमीन गत ख.नं. 345/1 तादादी 11 बीघा 17 विश्वा व ख.नं. 345/2 तादादी 4 विश्वा अवस्थित है व नये सेटलमेन्ट में ख.नं. 345/1 तादादी 11 बीघा 17 विश्वा व 345/2 तादादी 4 विश्वा के नये ख.नं. 1266 तादादी 6.62 हैक्टर, ख.नं. 1267 तादादी 0.65 हैक्टर, ख.नं. 1268 तादादी 0.01 हैक्टर, ख.नं. 1269 तादादी 1.67 हैक्टर व ख.नं. 1270 तादादी 0.10 हैक्टर। जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पैत्रिक

सम्पति है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 स्व. हेमकरण के वारिसान है। उक्त हेमकरण का देहान्त हो गया व उक्त हेमकरण के चार पुत्र हुये हरदेवाराम, हुक्माराम, खमाराम व मोहनलाल हुये। उक्त चारों का देहान्त हो गया है। हरदेवाराम के एक पुत्र हुआ जो कि मनफुल प्रतिवादी नं. 1 है व हुक्माराम के कोई सन्तान ना होने से इनके दत्तक पुत्र नेमीचन्द वादी सं. 1 है व खमाराम के एकमात्र पुत्र ताराचन्द वादी सं. 2 है व मोहनलाल के एक पुत्र हुये जो कि फुलचन्द वादी सं. 3 है व इनके अलावा और कोई वारिस नहीं है। स्व. हुक्माराम पुत्र, पुत्री व पत्नी का देहान्त हो गया था व हुक्माराम ने अपना वंश चलाने व पिण्डदान व क्रियाकर्म करने के लिये फागुन सुदी 2 सम्वत 2035 को अपने भाई मोहनलाल के पुत्र वादी नं. 1 नेमीचन्द को गोद लिया था व गोद के वक्त पुत्र जन्म का उत्सव किया था व मोहनलाल व मोहनलाल की पत्नी ने नेमीचन्द को हुक्माराम की गोद में बैठाकर के कहा था कि आज से यह तुम्हारा पुत्र हुआ व हुक्माराम ने नेमीचन्द को अपना होना स्वीकार किया था व सभी परिवार वालों के सामने यह कार्यक्रम किया गया व पुत्र जन्म के उपलक्ष में गुड़ बांटा गया व मंगलगीत गाये गये व जाट जाति में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार सभी कार्य सम्पन्न किये गये व इस बाबत कोई विवाद ना हो तो गोदनामा न्यायालय परिसर में लेखा नवीस से लिखवाकर के दिनांक 22.09.1983 को नोटेरी पब्लिक श्री द्वारकानाथ ककड़ एडवोकेट से तस्दीक करवाया गया व उक्त गोदनामा पर भी सभी भाईयों व परिवारजन व तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर करवाये थे ताकि वक्त जरूरत काम आये। यह कि इस गोदनामा का कोई विवाद नहीं है व उक्त हुक्माराम की जमीन जायदाद पर वादी नं. 1 नेमीचन्द ही काबिज है व काश्त की जमीन भी उक्त नेमीचन्द ही काश्त करता आ रहा है। स्व. हेमकरण का संयुक्त हिन्दु परिवार था व इस परिवार का कर्का परिवार उक्त हेमकरण था व हेमकरण के बाद इस परिवार का कर्का परिवार का सबसे बड़ा भाई होने से हरदेवाराम रहा व हेमकरण के पुत्र हुक्माराम के फोत होने पर कानुनन नामान्तरकरण उक्त हुक्माराम के दत्तक पुत्र नेमीचन्द के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक होना चाहिये था परन्तु कर्का परिवार होने से उक्त हरदेवाराम ने गोदनामा की असल लिखावट यह कहकर के ले ली थी कि हुक्माराम का नामान्तकरण दत्तक पुत्र नेमीचन्द के नाम से दर्ज करवाना है व पटवारी उक्त गोदनामा की लिखावट मांग रहा है व उक्त लिखावट हरदेवाराम ले गया व यह बताया कि नामान्तरकरण तस्दीक हो गया है व परिवार से आपस में प्रेम था व एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार था इस कारण से नामान्तरकरण के बाबत कोई जानकारी यह मानकर के नहीं की गई कि नामान्तरकरण हरदेवाराम ने भरवा दिया है व इस कारण से राजस्व रिकार्ड की तरफ गौर नहीं किया गया। इसी कारण से नामान्तकरण सं. 641 दिनांक 05.09.1998 वादी सं. 1 के हक हकुको पर खारिज होने योग्य है। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 से व इनके पिताओं के आपस में प्रेम था व इनको इस नामान्तरकरण सं. 641 की कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी सं. 1 के पिता हरदेवाराम ने अपने हक की जमीन पर झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक झुन्झुनूं से ऋण लिया तो ऋण के बाबत अपना 1/4 हिस्सा ही बैंक के रहन रखा इससे ही यह साबित है कि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व इनके पिताओं के मध्य कोई विवाद नहीं था व ना ही इस नामान्तरकरण की उनको कोई जानकारी भी नहीं थी। प्रतिवादी नं. 1 ने जमीन जैर बहस में 1/3 हिस्से का दावा किया व जवाब दावा लिखवाने के रोज वकील वादी ने कागजात देखकर के वादीगण को कहा कि आपका गोदनामा नहीं है तो जवाब दावा लिखने के रोज दिनांक 09.08.2017 को इसकी जानकारी हुई तो नकल लेकर के यह दावा पेश किया जा रहा है। जमीन जैर बहस वादी सं. 1 अपने हक व हिस्से की जमीन काश्त करता है। काबिज है व मकानात बनाकर के आबाद है व जमीन जैर बहस कजे 1/4 हक व हिस्से पर वादी सं. 1 के अलावा अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। दावा हाज के लिये बिनायमुखासमत दिनांक 09.08.2017 को दावा मनफुल बनाम फुलचन्द ने जवाब दावा लिखावते समय व राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने के रोज व

ामान्तरकरण सं. 641 दिनांक 05.09.1998 में वादी सं. 1 के हक हकुको के खिलाफ स्वीकृत रने के रोज अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

ाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की दान की जावे–

क) घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे कि जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 वाद पत्र में ादी सं. 1 का 1/4 हक हिस्सा वादी सं. 1 स्वर्गीय हुक्माराम का गोद का पुत्र होने से है।

ख) नामान्तरकरण सं. 641 दिनांक 05.09.1998 को वादी सं. 1 के हक हकुको के खिलाफ ून्य घोषित किया जावे।

ग) जमीन जैर बहस का विधिवत बंटवारा किया जाकर लगान का भी बंटवारा किया जाकर क वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5/1 द्वारा जबाव दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार करने पर कोई आपत्ति/एतराज नहीं होना स्वीकार करते हुए अपना जबाव दावा पेश किया । प्रतिवादी नम्बर 3 के द्वारा जबाव दावा के रूप में आदेशिका पर अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा किया जा सकता हो व राजस्व हानि ना हो तो कोई एतराज नहीं है। दिनांक 21.06.2021 को वादीगण व मृतक प्रतिवादी नम्बर 1 मनफूल के विधि वारिसों 1/1 व 1/6 के मध्य राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक कर जमीन जैर बहस का विभाजन चार हिस्सों से विधिवत करने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, जबाव दावा प्रतिवादीगण में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड ,तथ्यों व राजीनामा के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम बाकरा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1266 रकबा 0.62 है., खसरा नम्बर 1267 रकबा 1.67 है., खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 1269 रकबा 1.67 है.त्र खसरा नम्बर 1270 रकबा 0.10 है. में से वादी नेमीचन्द दतक पुत्र हुक्माराम को 1/4 हक हिस्से का व वादी संख्या 2 पेपादेवी को 1/8 हक हिस्सा, वादी संख्या 3 फूलचन्द को 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के विधि वारिसान 1/1 लगायत 1/6 को 1/24–1/24 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 26.08.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू